



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50970

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 8255 वर्ष 2026

श्रीमती रीता

.....याचिकाकर्त्री

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 5 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्त्री की ओर से अधिवक्ता

: अभिषेक कुमार तिवारी

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्त्री के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस निर्गत कर याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित अनुभव करता/करती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. प्रस्तुत याचिका याचिकाकर्त्री द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या-2/नायब तहसीलदार उत्तरी, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वह वाद संख्या 24930 वर्ष 2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202502030224930) का शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करे।
4. याचिकाकर्त्री के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दीर्घकाल से लंबित है। इस चरण पर नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उपयुक्त होगा, जो यह अधिरोपित करता है कि इस प्रकार के आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्राधिकारी द्वारा उसे समयबद्ध अवधि के भीतर विधि के अनुसार निस्तारित किया जाना आवश्यक है। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है :-

“(7) तहसीलदार यह प्रयास करेगा कि नामांतरण के अविवादित वाद का निर्णय वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिवस की अवधि के भीतर तथा विवादित वाद का निर्णय 90 दिवस की अवधि के भीतर कर दिया जाए और यदि कार्यवाही उक्त अवधि में पूर्ण नहीं होती है, तो उसके कारण अभिलेख पर अंकित किए जाएंगे।”

5. उपर्युक्त वैधानिक प्रावधान तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, प्रत्यर्थी संख्या-2/नायब तहसीलदार उत्तरी, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त प्रार्थना-पत्र को ग्रहण कर विधि के अनुसार, गुण-दोष के आधार पर, यथाशीघ्र तथा अधिमानतः इस आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निस्तारित करे, बिना अनावश्यक स्थगन प्रदान किए, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के परस्पर प्रतिद्वंद्वी दावों के गुण-दोष के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 12 मार्च, 2026

साकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।